संख्या- 10 / 2016 / 242वी.एम. / 33-2-16-7आर.डी. / 12

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष/ अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश ।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर, 2016

विषय:- प्रदेश की जिला पंचायतों द्वारा कराये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1580/33-2-12-7आर.डी./12, दिनांक 20.07.2012 द्वारा जिला पंचायत को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशियों से कराये जाने वाले विकास/निर्माण कार्यो के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। उक्त शासनादेश के क्रम में निम्न निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

(1) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण स्वीकृति के प्रस्ताव प्रथम बार शासन को प्रेषित किया गया है।

(2) जिला पंचायतों द्वारा प्रस्तुत जनपद के किसी अन्य विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत न किये गये हो।

(3) निर्माण कार्य निर्धारित मानक के अनुसार कराया जाय।

(4) कार्यो के पूर्ण होने के उपरान्त उनकी गुणवत्ता की निरन्तर जॉच की जाय तथा जॉच आख्या शासन को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराये तथा निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जॉच कर समय-समय पर अनुपालन आख्या से शासन को अवगत करायें।

आज्ञा से,

(अरविन्द प्रधान)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in